न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः– जयप्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः– 444/2007/रेफरेन्स

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान भू–दान यज्ञ बोर्ड जयपुर भू–दान होल्डर खेताराम रामनिवास पिता लीलाराम कौम चमार सा0 गांवड़ी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांकः–19.09.2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ख. नं. 455 रकबा 0.18 वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में श्री राजस्थान भू–दान यज्ञ बोर्ड जयपुर भूदान होल्डर खेताराम, रामनिवास पिता लीलाराम कोम चमार सा0 गावडी के खातेदारी में दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर की खातेदारी वर्ष 2020 में राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकीन नदी नाला तालाब जोहड़ा की राज्य सरकार के नाम से दर्ज थी। नियमन/आवंटन के जरिये उपरोक्त खसरा नम्बर 455 रकबा 0.18 में से श्री लीला पुत्र श्री लादू निवासी गावडी के नाम से आवंटन नियमन होकर गैर खातेदारी/खातेदारी श्री लीला पुत्र श्री लादू निवासी गावडी के नाम से दर्ज कर दी गई। उक्त भूमि गलत रूप से आवंटन/नियमन परामर्श दात्री समिति द्वारा दिनांक 1975 को गलत रूप से नियमो के विपरीत आवंटन/नियमन किया गया था। उपरोक्त भूमि राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में वर्णित है। जिसका आवंटन नियमन से खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है। उपरोक्त भूमि नियमन आवंटन के पश्चात आवंटी की विरासत मे या विक्रय के पश्चात चालू जमाबन्दी में श्री राजस्थान भू–दान यज्ञ बोर्ड जयपुर भूदान होल्डर खेताराम, रामनिवास पिता लीलाराम कोम चमार निवासी सा0 गावडी के नाम से खातेदारी दर्ज है। अतः उपरोक्त भूमि खातेदार के नाम दर्ज खातेदारी मे से हटाकर राज्य सरकार के पक्ष में वापिस दर्ज किया जाना न्याय संगत है।

रेफरेन्स आवेदन प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की और से वकील श्री एम.एल.विमल ने वकालतनामा पेश किया व जवाब आवेदन पेश किया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब आवेदन व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध खतौनी बन्दोबस्त जमाबन्दी सम्वत् 2027 के मुताबिक खसरा नम्बर 455 रकबा 0.18 है0 सिवायचक विला लगानी किस्म गै0मु0 नला दर्ज है। नामान्तकरण संख्या 589 के द्वारा उपरोक्त भूमि राज. सरकार सिवायचक से उप जिलाधीश नीमकाथाना के आदेश की पालना में लीला पुत्र लादू कौम चमार सा.देह के नाम से गैरखातेदारी दर्ज की गई है। उसके पश्चात् नामान्तकरण संख्या 1200 के द्वारा लीला पुत्र लादू कौम चमार सा.देह गैर खातेदार से खातेदार दर्ज कर दिया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2057–2060 के मुताबिक खसरा नम्बर 455 रकबा 0.18 है0 की खातेदारी राजस्थान भू–दान यज्ञ बोर्ड जयपुर भू–दान होल्डर लीला पुत्र लादू कोम चमार सा.देह के नाम से दर्ज रिकार्ड अंकित ... 455 के नवीन खसरा नम्बर 55 दर्ज कर दिये गये

Web Copy Not Official

जिसका मिलान क्षेत्रफल पत्रावली पर उपलबध है। जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 के मुताबिक खसरा नम्बर 50 रकबा 0.18 है0 की खातेदारी मोहनलाल रामनिवास खेताराम पुत्रगण लीला के नाम से दर्ज रिकार्ड अंकित है। उक्त भूमि की खातेदारी खतौनी बन्दोबस्त जमाबन्दी सम्वत् 2027 के मुताबिक सिवायचक विला लगानी किस्म गै0मु0 नला दर्ज होने के बावजूद नामान्तकरण संख्या 589 के द्वारा गलत रूप से लीला पुत्र लादू कौम चमार सा.देह के नाम गैरखातेदारी दर्ज करने व नामान्तकरण संख्या 1200 के द्वारा गैरखातेदारी से खातेदारी दर्ज की गई है। नकल जमाबन्दी के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त वर्णित आराजी गैर मुमकीन नला दर्ज है तथा अप्रार्थी के नाम से दर्ज है, जबकि गैर मुमकीन जोहड़, नदी, नाला, तालाब का धारा 16 आरटीएक्ट से प्रतिबंधित ही नहीं, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अब्दूल रहमान बनाम स्टेट में ऐसी अनियमितताओं को राजस्व मण्डल राजस्थान से निरस्त करवाने के आदेश भी है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम गावड़ी तहसील नीमकाथाना की तन में स्थित भूमि खसरा नम्बर 455 रकबा 0.18 है0 जिसके नवीन खसरा नम्बर 50 में अप्रार्थी लीला पुत्र लादू कोम चमार सा.देह को दी गई खातेदारी निरस्त किये जाने की अभिशंषा की जाती है। मूल पत्रावली निबंधक राजस्व मण्डल राज. अजमेर को भेजी जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/9/19

(जयप्रकाश)

अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official